रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D N)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 194] नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 1982/ वैशाख 27, 1904
No. 194] NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 1982/VAISAKHA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 17 मई, 1982

का० आ० सं० 327 (अ) 18 क/आई० डी० आर० ए०/82.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० सं० 325 (अ) तारीख 18 मई, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उक्त आदेश में प्रबंधक बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट व्यक्ति निकाय द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन 18 मई, 1978 से दो वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था, ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 324 (अ) तारीख 17 मई, 1980 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 17 मई, 1982 तक की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का उक्त प्रबंधक-बोर्ड द्वारा प्रबंध 6 मास की की और अवधि के लिए बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 (क) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 17 नवम्बर, 1982 तक की और अवधि के लिए, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त बना रहेगा ।

[फा० सं० 4 (1)/77- सी० यू० एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 17th May, 1982

S.O. 327(E)/18A/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development No. S.O. 325(E) dated the 18th May, 1978, (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the industrial undertaking known as The Bengal Immunity Company Limited, Calcutta, was taken over by a body of persons referred to in the said order as the Board of Management, under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of two years from the 18th May, 1978;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 324(E), dated the 17th May, 1980, the duration of the said order was extended for a further period upto the 17th May, 1982;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Board of Management should continue for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Govern-

ment hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 17th November, 1982.

[F. No. 4(1)|77-CUS]

का० आ० 328 (अ)/18 च ख/आई डी आर ए/82.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 354 (अ) तारीख 25 मई, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि 25 मई, 1978 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन जिनका बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाला कंपनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कंपनी को लागू हो, 18 मई, 1979 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीखों के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 17 मई, 1982 तक बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 6 मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 17 नवम्बर, 1982 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा० सं० 4 (1)/77-सी० यू० एस०]

आर० के० भार्गव, संयुक्त सचिव

S.O. 328(E)|18FB|IDRA|82.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 354(E) dated the 25th May, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 25th May, 1978 to which the industrial undertaking known as the Bengal Immunity Company Limited, Calcutta or the company owning such undertaking is a party or which may be applicable to the said industrial undertakings or company, shall remain suspended upto 18th May, 1979 and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time upto the 17th May, 1982;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 17th November, 1982.

[F. No. 4(1)/77-CUS]

R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982